रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253434 CG-DL-E-28032024-253434

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1495]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

No. 1495]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 27 मार्च. 2024

का.आ. 1576(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 910(अ), दिनांक 21 अप्रैल 2010 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के कटनी-जबलपुर-लखनादौन खंड के कि.मी. 377.600 से कि.मी. 544.000 तक) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पिठत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956(1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा यांत्रिक वाहनों पर खंडों के उपयोग के लिए शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया:

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नया एनएच-30) के रीवा-कटनी-जबलपुर खंड के डिजाइन कि.मी. 399.657 से कि.मी. 467.916 तक (विद्यमान चेनेज कि.मी. 397.000 से कि.मी. 465.500 कि.मी.) के लिए की अधिसूचना संख्या 3981(ई) दिनांक 04 नवंबर 2019 के द्वारा।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-30 (पुराना एनएच-7) के कटनी - जबलपुर - लखनादौन खंड के कि.मी. 813.257 से कि.मी. 880.600 तक (परियोजना लंबाई 67.343 कि.मी.) के खण्ड (जिसे इसके पश्चात 'उक्त खण्ड' कहा गया है) के टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (इनविट) हेतु दिनांक 07.03.2024 को एनएचआईटी ईस्टर्न प्रोजेक्ट्स प्राइवेट

2310 GI/2024 (1)

लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जी-5 और 6, सेक्टर-10, द्वारका, दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110075, (जिसे इसके पश्चात 'कंसेसनायर' कहा गया है) के साथ करार (जिसे इसके पश्चात उक्त 'करार' कहा गया है) किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 [सा.का.नि. 838 (ई), तारीख 5.12.2008] के नियम 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 [सा.का.नि.950(ई), तारीख 03.12.2010], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 15(ई), तारीख 12.01.2011] राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 756 (ई), तारीख 12.10.2011], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013 [सा.का.नि. 778 (ई), तारीख 16.12.2013], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधार ण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 26 (ई), तारीख 16.01.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 831 (ई), तारीख 21.11.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 02(ई), तारीख 29.12.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 [सा.का.नि. 220 (ई), तारीख 23.03.2015], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 585 (ई), तारीख 08.06.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 1114(ई), तारीख 02.12.2016] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 [सा.का.नि. 248(ई), तारीख 14.03.2017], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 427(ई), तारीख 07.05.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 920(ई), तारीख 25.09.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2019 [सा.का.नि. 942(ई), तारीख 20.12.2019] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 298(ई), तारीख 15.05.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 523(ई), तारीख 24.08.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 804(ई), तारीख 30.12.2020] के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और करार की तारीख तक किसी अन्य संशोधनों और अधिसूचना का.आ. 3981 (अ) दिनांक 04.11.2019 का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अतिक्रमण से पूर्व कर ली गईं हैं या करने से लोप करा दी गईं हैं, उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा कंसेसनायर के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर, सड़क की कुल लम्बाई 67.343 कि.मी. [जिसमें 40.612 कि.मी. सड़क, 26.245 कि.मी. बाइपास, और 0.414 कि.मी. की चार लेन सरचनाएं शामिल है (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 4.140 कि.मी. है। और 0.072 कि.मी. की दो लेन सरचनाएं (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 0.72 कि.मी. है] सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसके पश्चात् ''आधार दर'' कहा गया है), नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को कार्यारंभ करने की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना टीओटी परियोजना पर कार्यारंभ करने की तारीख से प्रभावी होगी:-

सारणी 1			
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी.*चार या अधिक लेन के एनएच खंड के लिए शुल्क की आधार दर (रुपये में)		
(1)	(2)		
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65		
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05		
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20		
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40		
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45		
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20		

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

क्रम	टोल प्लाजा का स्थान	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क	दर जिस पर शुल्क भुगतान
सं.	(विद्यमान कि.मी.)	भुगतान योग्य है	योग्य है
1.	एनएच-30 के कि.मी. 840.567	40.612 कि.मी.	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित
	(पुराने एनएच-7 का कि.मी.	[60 मीटर से अधिक लंबी संरचनाओं और 10	आधार दरों का 100%
	426.967) पर मोहतरा टोल प्लाजा	करोड़ से अधिक लागत वाले बाईपास की लंबाई	
		को छोड़कर)	

2. उपरोक्त के अलावा 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे टोल प्लाज़ा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित टोल प्लाज़ा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा-

टोल प्लाजा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम और स्थान	से प्रारंभ	पर विलय	बाईपास की लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
एनएच-30 के कि.मी.		814.144	815.664	1.520	ऊपर सारणी-1 में
840.567 (पुराने	धनगवा बाईपास	820.542	822.286	1.744	उल्लिखित आधार दरों का 150%
एनएच-7 का कि.मी. 426.967) पर	सिहोरा बाईपास	830.935	836.109	5.174	का 150%
मोदतरा टोल प्लाजा	जुझार्री और गोसलपुर बाईपास	843.521	846.838	3.317	
	गांधीग्राम बाईपास	850.625	853.391	2.766	
	पनागर बाईपास	855.680	867.566	11.724	
				(0.162 कि.मी. की	
				संरचना को छोडकर	
				जिसकी लंबाई 60 मी से	
				अधिक है)	
	कुल (कि.र्म	t.)		26.245	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

क. चार लेन संरचनाओं के लिए

टोल प्लाजा का स्थान (विद्यमान कि.मी.)	सड़क की लंबाई के समकक्ष परिवर्तित संरचना की लंबाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
एनएच-30 के कि.मी. 840.567	0.414	4.140	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार
(पुराने एनएच-7 का कि.मी.			दरों का 100%
426.967) पर मोहतरा टोल	0.072	0.720	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार
प्लाजा			दरों का 60%

4 लेन संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लंबाई) का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	संरचना का स्थान (कि.मी. पर)		संरचना का प्रकार	कुल लंबाई (कि.मी.)	
	से	तक		, ,	
1	839.566	839.746	बड़ा पुल	0.18	
2	866.199	866.289	बड़ा पुल	0.090	
3	872.744	872.816	फ्लाईओवर	0.072	
4	875.644	875.716	फ्लाईओवर	0.072	
कुल लंबाई				0.414	

2 लेन संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लंबाई) का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	(विद्यमान कि.मी.)		संरचना का प्रकार	कुल लंबाई (कि.मी.)
	से	तक		
1	856.024	856.096	फ्लाईओवर	0.072
कुल लंबाई		0.072		

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2023-24 के लिए मासिक पास की दर 330.00/-रूपए (तीन सौ तीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की दिनांक से एक माह

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा

अधिकतम अनुमेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत	आधार दर का गुणक कारक	शुल्क
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	दो	[(नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत यांत्रिक
>20% to 40%	चार	वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क) x
>40% to 60%	छह	(गुणक कारक)]
>60% to 80%	आठ	
>80% तथा अधिक	दस	

- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, प्रयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 10. ऊपर तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा परियोजना राजमार्ग की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी। उसे प्राधिकरण द्वारा कंसेसनायर के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात रियायत करार के प्रावधान एवं उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, बशर्ते कि शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अविध के भीतर कोई संशोधन प्रभावी नहीं होगा।

[फ़ा. सं. एनएचएआई/फाइनेंस/इनविट/23-24/फीनोटिफिकेशन/रीवा-कटनी-जबलपुर लखनादौनसेक्शन/मोहतराटोलप्लाजा/ई-236117]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2024

S.O. 1576(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. No. 910 (E) dated 21.04.2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 377.600 to Km 544.000 of Katni - Jabalpur – Lakhnadon section of National Highway No. 7 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

Vide S.O. No. 3981 (E) dated 04.11.2019 for the Rewa – Katni - Jabalpur section from design km 399.657 to km 467.916 (existing chainage km 397.000 to km 465.500 km) of National Highway Number -7 (new NH-30) in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with **NHIT Eastern Projects Private Limited**, having its registered office at G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, Delhi, South West Delhi, India, 110075 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), on **07.03.2024** for the Tolling, Operation, Maintenance and Transfer (InvIT) of Katni - Jabalpur – Lakhnadon section from km 813.257 to km 880.600 (Total Project length 67.343 km) of National Highway No. 30 (old NH-7), in the state of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said section) of the National Highway;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 [GSR 838 (E) dt. 05.12.2008] read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 [GSR 950(E) 03.12.2010], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 [GSR 15(E) 12.01.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011 [GSR 756 (E) 12.10.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 [GSR 778(E) 16.12.2013], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 26(E) 16.01.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 831(E) 21.11.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 02(E) 29.12.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015 [GSR 220(E) 23.03.2015], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 585(E) 08.06.2016], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 1114(E) 02.12.2016], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017 [GSR 248(E) 14.03.2017], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 427(E) 07.05.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 920(E) 25.09.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2019 [GSR 942(E) 20.12.2019], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 298(E) 15.05.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 523(E) 24.08.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 804(E) 30.12.2020], and any other amendments till date of agreement and in supersession of the Notification Number S.O. No. 3981 (E) dated 04.11.2019 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for total road length of 67.343 km [including 40.612 km road, 26.245 km bypass, 0.414 km of 4 lane structures (having length more than 60m) with equivalent length of 4.140 km] and 0.072 km of 2 lane structures (having length more than 60m) with equivalent length of 0.72 km] for use of four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Appointed Date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the date of termination as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the ToT project.

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plazas for the distance specified for such Fee Plazas:

Sl. No.	Location of Toll Plaza	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which Fee is
	(Existing KM)		payable
1	Mohtara Toll Plaza at km	40.612 km	100% of the base rates
	840.567 of NH -30 (km 426.967	[excluding length of structure > 60 and	mentioned in Table-1 above
	of old NH-7)	length of bypass costing >10 cr.)	

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing more than Rs. 10 crores at the following toll plaza, for the length of bypass specified for such toll plazas.

Location of Toll Plaza (chainage)	Name of Bypass and Location	Taking off	Merging at	Length of bypass for which Fee is Payable (in km)	Rate at which Name of fee is payable
Mohtara Toll Plaza	Chhapraa Bypass	814.144	815.664	1.520	150% of the
at km 840.567 of	Dhangawa By Pass	820.542	822.286	1.744	base rates
NH -30 (km 426.967	Sihora Bypass	830.935	836.109	5.174	mentioned in
	Jujharri & Gosalpur Bypass	843.521	846.838	3.317	Table-1 above
	Gandhigram Bypass	850.625	853.391	2.766	
	Panagar Bypass	855.680	867.566	11.724 (excluding 0.162 km of structure having >60m)	
	Total (km	n)		26.245	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

a. For 4 lane Structures

Location of Toll Plaza (Existing KM)	Length of Structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Mohtara Toll Plaza at km	0.414	4.140	100% of the base rates
840.567 of NH -30 (km			mentioned in Table -1 above
426.967 of old NH-7)	0.072	0.720	60% of the base rates
			mentioned in Table -1 above

The details of 4 lane structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure (at KM)		Type of Structure	Total Length (km)
	From	To		
1	839.566	839.746	Major Bridge	0.18
2	866.199	866.289	Major Bridge	0.090
3	872.744	872.816	Flyover	0.072
4	875.644	875.716	Flyover	0.072
Total length				0.414

The details of 2 lane structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	(Existing KM)		Type of Structure	Total Length (km)
	From	То		
1	856.024	856.096	Flyover	0.072
Total leng	th	0.072		

- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 330.00 (Rupees Three Hundred Thirty only) for the year 2023-24 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way	Two	Twenty four hours from the time of
journey		payment
Two-third of amount of the fee payable for	Fifty	One month from date of payment
fifty single journeys		

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the user fee collecting agency, equal to fee as follows.

Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight	Multiplying Factor to the base rate	Fees	
(1)	(2)	(3)	
0% to 20%	Two		
>20% to 40%	Four	[(Fees applicable for such category of	
>40% to 60%	Six	mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule	
>60% to 80%	Eight	4) x (Multiplying factor)]	
>80% and Above	Ten		

- 8. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
- 9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/Finance/Invit/23-24/FeeNotification/Rewa-Katni-Jabalpur-Lakhnadonsection/MohtaraTollPlaza/E-236117]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.